संख्या- 59 / सी0एम0-165 / चार-2015-221 (वि0)/13

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 मई , 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014- 15 में मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान विषयक शासनादेश संख्या-12/130/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक25 फरवरी,2015 में संशोधन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-12/130/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक25 फरवरी,2015 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014- 15 में मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में भव्य पण्डाल की स्थापना हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी । तदनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 फरवरी के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो को निम्नानुसार पढ़ा जाय:-

2- मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में स्थापित होने वाले भव्य पण्डाल के उपयोग हेतु नियम, शर्ते और प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व जिलाधिकारी, रामपुर का होगा:-

(1) मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में उक्त अनुदान से निर्मित भ्व्य पण्डाल में शासन से प्राप्त उपरोक्त अनुदान से निर्माण किये जाने का उल्लेख करते हुए शिलापट स्थापित किया जायेगा।

(2) पण्डाल का उपयोग विश्वविद्यालय के निहित उददेश्यों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय की ज्ञान वृद्धि ,प्रसार, शोध एवं अनुसंधान , शिक्षण, प्रशिक्षण , उच्च स्तरीय बौद्विक क्षमता के विकास तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों , योजनाओं और क्रिया कलापों आदि के लिये किया जायेगा उक्त उददेश्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रायोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक , सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों , कार्यकलापों और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था या विभाग को निर्धारित शुल्क जमा कराकर पण्डाल के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के शासकीय प्रयोग के लिए पण्डाल का नि:शुल्क आवंटन किया जायेगा।

(4) पण्डाल भवन का स्वामित्व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 में सुरक्षित रहेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति , संस्था, विभाग अथवा एजेन्सी को किसी प्रकार से, किसी भी रीति से, न विनिमय किया जायेगा, न बेचा जायेगा अथवा किसी भी रूप में किसी को हस्तान्तरित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय निकाय, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अवधारित, भारित और आरोपित किये गये करो, शुल्कों और अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा।

(6) पण्डाल में कभी भी न तो विश्वविद्यालय /ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार की व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों संचालित की जायेगी और न ही किसी अन्य को ऐसे कार्य के लिए अधिकृत किया जायेगा।

(7) भव्य पण्डाल के आंवटन , संचालन और अनुरक्षण के लिए विश्वविद्यालय/ट्रस्ट द्वारा उपविधि /विनिमय /नियमावली का विरचन किया जायेगा।

(8) पण्डाल निर्माण में उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त आने वाला व्यय- भार और अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय /ट्रस्ट द्वारा अपने संसाधनों/शुल्क से अर्जित होने वाले आय से वहन करेगा।

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-12/130/चार-2015-221(वि0)/13 दिनांक 25 फरवरी,2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 25 फरवरी,2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या - 59 / सी0एम0-165 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, रामपुर ।
3- रजिस्ट्रार , मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), रामपुर ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in